



दिल्ली विकास प्राधिकरण

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली

'ए' ब्लॉक, प्रथम तल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 के समक्ष सीपीसी के आदेश V नियम 20 के अंतर्गत नोटिस

प्रथम अपील सं.: एफए-194/2014

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अपीलकर्ता

बनाम

मंजू नंदी

प्रतिवादी

प्रेषिति

श्रीमती मंजू नंदी एलआरएस के माध्यम से

पत्नी श्री ए.आर. नंदी

निवासी-266 आयुर्विज्ञान नगर,

एंड्रूज गंज

नई दिल्ली-110049

अथवा

निवासी-फ्लैट नं. 63, (तृतीय तल) पॉकेट-4, सेक्टर-24, रोहिणी।

चूंकि, आपके विरुद्ध इस आयोग में निर्णय के लिए अपील/शिकायत दर्ज की गई है।

दिनांक 07.01.2026 के आदेश के अनुपालन में, अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता को

एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी/विपक्षी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से या

अधिवक्ता के द्वारा अथवा विधिवत निर्देशित अधिकृत एजेंट के माध्यम से इस आयोग में

उपस्थित होने के लिए समाचार पत्र "वीर अर्जुन" में हिंदी भाषा तथा समाचार पत्र

"हिंदू" में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन के माध्यम से समन की प्रतिस्थापित तामील प्रभावी

करे और **दिनांक 06.04.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे** संबंधित अपील/शिकायत से

जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हों।

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता को एक शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए भी निर्देश दिया

जाता है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व प्रकाशन के

माध्यम से प्रतिवादी/विपक्षी पार्टी पर समन की तामील प्रभावी कर दी गई है।

दिनांक **12.03.2026** को मेरे द्वारा और इस आयोग की मुहर के अंतर्गत दिया गया।

कुलसचिव
राज्य आयोग